न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—538/12

1. पन्नाराम पुत्र स्व. कानाराम उम्र 64 वर्ष, जाति जाट, निवासी रूपसिंह का बास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत कालख, पंचायत समिति सांभरलेक, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. बिरदाराम **फौत**
   - 2/1. श्रीमती दाखादेवी पत्नी स्व. बिरदाराम, जाति जाट, निवासी रामसिंहपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
   - 2/2. बनवारीलाल,
   - 2/3. रामनारायण,
   - 2/4. बाबूलाल पुत्रान बिरदाराम, जाति जाट, निवासी रामसिंहपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
   - 2/5. श्रीमती गुलाबदेवी पुत्री स्व. बिरदाराम पत्नी रामेश्वर, जाति जाट, निवासी सेक्टर नम्बर 4 विधाधर नगर, जयपुर।
3. रामदेव उम्र 75 वर्ष,
4. दूलाराम उम्र 67 वर्ष,
5. श्योराम उम्र 57 वर्ष, पुत्रान स्व. कानाराम निवासी सांखलों का बास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फुलेरा, मु. सांभरलेक, जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 22.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर के आदेश दिनांक 03.11.2008 (प्रकरण संख्या 17/2008) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय पारित किये बिना सीधे ही अपील का निस्तारण कर दिया गया है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है जबकि सर्वप्रथम अपील मियाद बाहर होते ही प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस अहम कानूनी बिन्दू को नजर अन्दाज कर निर्णय देने में कानूनी भूल की है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपने पिता स्व. कानाराम पुत्र लालाराम की आराजीयात के गलत खुले पांच नामान्तरकरण की अपीलें जानकारी होने पर दिनांक 31.07.2008 को प्रस्तुत की गई है, उक्त पांचों अपीले तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित अपील संख्या 17/2008 एक ही व्यक्ति स्व. कानाराम पुत्र लालाराम की आराजीयात में स्व. कानाराम के पांचों पुत्रों

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के बीच विवाद होने से अधीनस्थ न्यायालयों को प्राकृतिक न्याय के सहज सिद्धान्तों के अनुसार स्व. कानाराम की विरासत के सभी नामान्तरकरणों की अपीलों को एक साथ सुनकर निर्णित करना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र एक अपील जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 द्वारा पेश की गई अपील को निर्णय करने में अहम कानूनी भूल की है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को गोधाराम का पुत्र बताया है वह सर्वथा गलत है, चूँकि गोधाराम के कोई जायन्दा पुत्र नही था केवल एकमात्र जायन्दा पुत्री बिरदी थी जिसका शपथ पत्र को नजर अन्दाज कर निर्णय देने में कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, क्योंकि जब तक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गोद की रस्म पूर्ण नही है तथा केवल मात्र शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर गोद पुत्र नही माना जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को मानकर निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत कालख का निर्णय दिनांक 01.01.1989 नामान्तरकरण संख्या 198 यथावत रखा जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. काना पुत्र लाला खातेदार के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 198 अपीलान्ट के साथ–साथ खातेदार के अन्य वारिसान के नाम सरपंच द्वारा स्वीकार किया गया है तथा पक्षकारान के मध्य अपीलान्ट के अन्यत्र गोद चले जाने और विवादग्रस्त नामान्तरकरण अपीलान्ट के भी नाम से स्वीकार होने पर नामान्तरकरण की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है तथा नावां (195) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1975 ग्राम बाजणा के क्रम संख्या 166 पर अपीलान्ट का नाम पना/गोदा अंकित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार सांभरलेक को दोनों पक्षों को सुनकर बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण निस्तारण हेतु रिमाण्ड किया गया है जिसमें जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2003 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।